न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 583/2019

नवदीप सिंह पुत्र महताब सिंह जाति जट सिख निवासी सुन्दरपूरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1 गुरमेल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी सुन्दरपूरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 महताब सिह पुत्र गुरमेल सिह जाति जट सिख निवासी सुन्दरपूरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश कुमार सिहाग अधिवक्ता (वादी)

2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 1 व 2)

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 29/07/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि 2 यह कि चक 2 एस डी पी जमाबदी समवत 2072–2075 खाता संख्या 12/10 मु.न. 53 कि.न. 3, 4, 7, 8 में 1.012 है. नहरी, मु.न. 62 कि.न. 8 ता 10, 12/2, 13 में 1.139 है. नहरी, मु.न. 68 कि.न. 5, 6, 13 ता 18, 23 में 2.277 है. नहरी कुल खाता 4.428 है. नहरी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.506 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है।उक्त वादाधीन आराजी के अलावा चक 2 एस डी पी जमाबंदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 28/29 में 5.781 है. आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। वादी प्रतिवादी संख्या 2 का पुत्र है एव प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है जो कि वादाधीन आराजी विरासतन भूमि है एव वादी प्रतिवीदगण की सन्तान होने के नाते सहदायिकी सम्पति में जन्म से ही कानूनन हक हिस्सा रखता जो कि वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो चूका है जिसके मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी संखय 1 के नाम दर्ज चक 2 एस डी पी के खाता संख्या 28/29 मे 5.781 है. आराजी प्राप्त हुयी है एव वादाधीन दावा की मद संख्या 2 की आराजी वादी को प्राप्त हुयी है जिस पर वादी मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।वादी के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की मुताबिक पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज दावा की मद संख्या 2 की आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादी को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजसव रिकॉर्ड में मुताबिक बंटवारादर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादी को प्रतिवादी द्वारावेदखल किये जाने का सदैव अंदेशा लगा रहता है जिस कारण वादी अपने हक हिस्सा की आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का कानूनन हक अधिकारी है।वगैरा–वगैरा।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

लिहाजा वाद वादी मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:–

(क) यह कि चक 2 एस डी पी जमाबदी समवत 2072–2075 खाता संख्या 12/10 मु.न. 53 कि.न. 3, 4, 7, 8 में 1.012 है. नहरी, मु.न. 62 कि.न. 8 ता 10, 12/2, 13 में 1.139 है. नहरी, मु.न. 68 कि.न. 5, 6, 13 ता 18, 23 में 2.277 है. नहरी कुल खाता 4.428 है. नहरी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.506 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ , राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने वादी के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया हमनें पत्रावली का अवलोकन किया वादी एव प्रतिवादी के मध्य परिवारिक बंटवारा हुआ है एंव वादी एव प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादी एव प्रतिवादी ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है, एव वादी द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा की मांग की है , इस प्रकार वादी ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, ईकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं मैं वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 2 एस डी पी जमाबदी समवत 2072–2075 खाता संख्या 12/10 मु.न. 53 कि.न. 3, 4, 7, 8 में 1.012 है. नहरी, मु.न. 62 कि.न. 8 ता 10, 12/2, 13 में 1.139 है. नहरी, मु.न. 68 कि.न. 5, 6, 13 ता 18, 23 में 2.277 है. नहरी कुल खाता 4.428 है. नहरी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.506 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्तानूसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

यशपाल अग्रवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 583/2019

नवदीप सिंह पुत्र महताब सिंह जाति जट सिख निवासी सुन्दरपूरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1 गुरमेल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी सुन्दरपूरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 महताब सिह पुत्र गुरमेल सिह जाति जट सिख निवासी सुन्दरपूरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ यशपाल आहूजा वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामकुमार सिहाग,राकेश कुमार सिहाग वकील वादी मिन जामिन मुद्दई श्री रजनीकान्त वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 2 एस डी पी जमाबदी समवत 2072–2075 खाता संख्या 12/10 मु.न. 53 कि.न. 3, 4, 7, 8 में 1.012 है. नहरी, मु.न. 62 कि.न. 8 ता 10, 12/2, 13 में 1.139 है. नहरी, मु.न. 68 कि.न. 5, 6, 13 ता 18, 23 में 2.277 है. नहरी कुल खाता 4.428 है. नहरी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.506 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्तानूसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 31/07/19 को जारी किया गया।

यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner